न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 11/2017

श्री कैलाश चन्द वर्मा पुत्र श्री जवाहर लाल वर्मा निवासी 628, जवाहर कुज, हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार, अजमेर (राज0)। .....अपीलान्ट

बनाम

दीपक वर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द वर्मा द्वारा अकरम खॉ हरिभाऊ उपाध्याय नगर, मुख्य पुष्कर रोड, अजमेर जिला अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध अपील

आदेश दिनांक :– 28.06.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी वृद्ध एवं बीमार है तथा उन पर दो पुत्रियों का दायित्व भी है। अपीलार्थी का आय का जरिया मात्र पेंशन 1559 रूपये मात्र है। रेस्पोडेन्ट पुत्र अपना दायित्व निभाने के बजाय अपीलार्थी द्वारा अपने सेलैरी खाते एवं पी0एफ0 खाते की राशि से रेस्पोडेन्ट के नाम से क्रय की गई सभी सम्पतियों का विक्रय कर हमें बेदखल करना चाहता है। कुछ सम्पतियॉ रेस्पोडेन्टस द्वारा विक्रय भी कर दी गई। रेस्पोडेन्ट दीपक द्वारा समस्त पुश्तैनी जायदाद बेचान करने पर आमादा है। उसके द्वारा खेत साढे पॉच हजार गज तथा फैक्ट्री, अपीलार्थी की बिना अनुमति के बिना मूल दस्तावेज प्राप्त किये बेचान कर दिया गया जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के नाम से क्रय की गई थी। रेस्पोडेन्ट दीपक द्वारा विक्रित सम्पति, अपीलान्ट को दिलवाने, किसी प्रकार की हिंसा एवं दुर्व्यवहार नहीं करने, अपीलान्ट का भरण पोषण, सेवा सुश्रुसा तथा इलाज करवाने तथा खर्चा वहन करने व मूदंडी मौहल्ला स्थित मकान संख्या 17/54 सुख विला में पुलिस के संरक्षण में प्रवेश एवं आवास सुनिश्चित कराने के अनुतोष के प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर बिना दोनो पक्षों को एक साथ सुने आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2017 से खारिज कर दिया गया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनस्थ अधिकरण का प्रश्नगत आदेश अपास्त करने एवं प्रत्यर्थी से भरण पोषण एवं अपीलार्थी की पैतृक सम्पति जो अप्रार्थी द्वारा बेचान की गई के असल दस्तावेज एवं नकद राशि दिलवाते हुए मून्दडी मौहल्ला स्थित मकान संख्या 17/54 सुख विला में पुलिस संरक्षण में प्रवेश एवं आवास करवाये जाने की इस्तदुआ के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

28/06/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट स्वयं उपस्थित आये एपं लिखित बहस प्रस्तुत की। दौराने सुनवाई अपीलान्ट उपस्थित नहीं आये। उपस्थित रेस्पोडेन्ट को सुना गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्यतः निवेदन किया गया कि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नी वृद्ध एवं बीमार है तथा उन पर दो पुत्रियों का दायित्व भी है। अपीलार्थी का आय का जरिया मात्र पेंशन 1559 रूपये मात्र है। रेस्पोडेन्ट पुत्र अपना दायित्व निभाने के बजाय अपीलार्थी द्वारा अपने सेलैरी खाते एवं पी0एफ0 खाते की राशि से रेस्पोडेन्ट के नाम से कय की गई सभी सम्पतियों का विकय कर हमें बेदखल करना चाहता है। कुछ सम्पतियॉ रेस्पोडेन्टस द्वारा विकय भी कर दी गई। रेस्पोडेन्ट दीपक अपीलान्ट की समस्त पुरानी जायदाद को बेचान करने पर आमादा है। अपीलान्ट द्वारा अपनी कमाई से रेस्पोडेन्ट दीपक के नाम कय की गई सम्पति खेत साढे पॉच हजार गज तथा फैक्ट्री को अपीलार्थी द्वारा बिना अनुमति एवं मूल दस्तावेज प्राप्त किये बेचान कर दिया। रेस्पोडेन्ट दीपक द्वारा अपीलान्ट से किसी प्रकार की हिंसा एवं दुर्व्यवहार नहीं कर, अपीलान्ट का भरण पोषण, सेवा सुश्रुसा तथा इलाज करवाने तथा खर्चा वहन करने हेतु पांबद किया जाने एवं मूदंडी मौहल्ला स्थित मकान संख्या 17/54 सुख विला में पुलिस के संरक्षण में प्रवेश एवं आवास सुनिश्चित कराने के अनुतोष हेतु अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.1.2017 अपीलान्ट को बिना सुने पारित किये जाने से विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ अधिकरण का प्रश्नगत आदेश अपास्त कर प्रत्यर्थी से भरण पोषण एवं अपीलार्थी की पैतृक सम्पति जो रेस्पोडेन्ट द्वारा बेचान की गई के असल दस्तावेज एवं नकद राशि दिलवाई जावें। साथ ही मून्दडी मौहल्ला स्थित मकान संख्या 17/54 सुख विला में पुलिस संरक्षण में प्रवेश एवं आवास करवाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी प्रस्तुत लिखित बहस के कथनों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलान्ट के अपील कथन निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढन्त है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ अधिकरण पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का आरोप पूर्णतया मिथ्या एवं सरासर गलत है। प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा अधिकरण के समक्ष लिखित बहस प्रस्तुत किये जाने उपरान्त अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का मौका नहीं दिये जाने का दोषारोपण न्याय व्यवस्था व न्याय प्रणाली एवं न्यायालय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण दस्तावेजात, प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क के आधार पर आक्षेपित आदेश में पक्षकारान में वास्तविक विवाद सम्पति को लेकर चलना प्रतीत होता है, प्रार्थी के रहन सहन से प्रार्थी की स्थिति ठीक होना प्रतीत होती है। अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अधीन स्वीकार योग्य नहीं होना अंकित करते हुए खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे कथन किया कि अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट एवं उसकी पत्नि के प्रति व्यवहार उचित नहीं है। अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। उनका

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

स्वयं का बंगला, कार एवं तीन दुपहिया वाहन है जबकि रेस्पोडेन्ट की आर्थिक स्थिति काफी दीनहीन है। रेस्पोडेन्ट किराये के मकान में रहता है तथा पत्नी एवं एक पुत्र के जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी भी है। अपीलार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि अपीलान्ट पर दो अविवाहित पुत्रियों का दायित्व है जबकि अपीलार्थी की एक पुत्री का विवाह पूर्व में हो चूका है। उसका विवाह विच्छेद आपसी सहमति से हुआ है। जिसके एवज में उसके द्वारा ससुराल से 16,00,000/– सोलह लाख रूपये प्राप्त किये गये है। दोनो पुत्रियॉ वर्तमान में प्राईवेट नौकरी कर रही है। दोनो की प्रति माह आय करीब 15000/– है। अपीलार्थी का यह कथन भी सरासर गलत है कि उसके द्वारा फैक्ट्री के खाते से अपने ससुराल हर महिने 13512/– भेजे गये। प्रत्यर्थी द्वारा अपने ससुराल से अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए रकम उधार ली थी, जो प्रत्यर्थी के अपनी कमाई से अदा की है। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत है कि प्रत्यर्थी द्वारा पुश्तैनी सम्पति का बेचान कर दिया, प्रत्यर्थी द्वारा अपनी क्रय शुदा सम्पति का बेचान किया है जिसमें अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अपीलान्ट द्वारा दुराश्य से ग्रसित होकर अपने ही पुत्र के विरूद्ध कई प्रकार की पुलिस व न्यायिक कार्यवाही कर चुका है। मामला सम्पति विवाद का होने के कारण प्रार्थी का केवल मात्र उद्धेश्य अप्रार्थी को हैरान परेशान करने का है। इसलिए उपरोक्त अपील माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारिज फरमाया जावें।

हमने अपील तथ्यों एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक बहस का अधिनस्थ अधिकरण की पत्रावली के अवलोकन मनन किया। अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें अधिनस्थ अधिकरण द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। जब कि अधिनस्थ अधिकरण के आक्षेपित आदेश में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का अंकन किया गया है। उक्त तथ्य विरोधाभासी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) को निम्न निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि :–

1. दोनो पक्ष को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान किया जावें।
2. उभय पक्ष द्वारा व्यक्त विरोधाभासी कथनों बाबत वस्तुस्थिति की जॉच करवाई जावें।
3. बाद जांच वास्तविक प्रकट तथ्यों के आधार पर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप गुणावगुण पर 30 दिवस में निर्णय पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/17

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner